

उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर सीकर (राज.)

AL



आरजी खसरा नंबर 781 रकबा 1.73 हेक्टर वार्क कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है जिसमें इस आवेदन-पत्र में आने वाले वार्डों में भी के नाम से संबंधित किया जायेगा।

पक्ष में है जिसमें प्रार्थी की सफलता सुनिश्चित है।  
माननीय न्यायालय में विहित रूप से प्रस्तुत कर दिया है जिसमें संलग्न दस्तावेजों व प्रार्थी की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने

दिनांक:- 30.06.2018

निर्णय

श्री राजकुमार शर्मा - प्रार्थी  
श्री राजपाल चौधरी - अप्रार्थी

उपस्थित अधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

अप्रार्थीगण.....

1. श्रीमती दयाकौर पत्नी रामसिंह जति जाट
2. श्रीमति सिंह पुत्र धनपतराम जति जाट निवासीगण डी-4 बसंत विहार सीकर राजस्थान।
3. मुखराम पुत्र आकारमल जति जाट निवासी पबाना तहसील नवलगाड जिला झुंझुन राजस्थान।
4. रामस्वकप अग्रवाल पुत्र रामप्रसाद अग्रवाल जति महानन निवासी मोहला खखपुरा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।
5. पटवारी हल्का फतेहपुर।
6. तहसीलदार महोदय फतेहपुर
7. उपपत्नीयक फतेहपुर।

बनाम

प्रार्थी.....

माफी मंदिर श्री सीतारामजी वार्क कस्बा फतेहपुर जिला सीकर जिले अहतमाम पुजासी वार्क बंदक जति ब्रह्मण उम्र 65 वर्ष निवासी वार्ड नं० 19 तहसील नया विधानसभा के पास फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान।

मुकदमा नंबर - 47/2016

पीठासीन अधिकारी का नाम-

रंजीत शीगा आर.ए.एस.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)





**उत्तर प्रदेश अधिकांश**  
**कतहपुर सीकर (राज.)**

22

प्राप्ति को होना समाहित है।

जब प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संग्रहन प्राप्ति के पक्ष में है तो अपूर्णतया क्षति के पक्ष में है। सुविधा का संग्रहन प्राप्ति के पक्ष में सबल है।

प्रस्तुत विनिलिपि जमाबंदी संवत् 2011-2014 में खसरा नंबर 781 की खातेदारी प्राप्ति

**सुविधा का संग्रहन:-**

के पक्ष में है। प्रथम दृष्टया मामला प्राप्ति के पक्ष में सबल है।

प्रस्तुत विनिलिपि जमाबंदी संवत् 2011-2014 में खसरा नंबर 781 की खातेदारी प्राप्ति

**प्रथम दृष्टया मामला:-**

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वर्कलाय फ्रीकेन पर मनन किया। अख्यायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में मुख्य तीन बिन्दु तय करने होते हैं।

प्राथमिक पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री राजपाल एड. ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 बावर्जद लामिल हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लयी गयी। पत्रावली कैम्प कोर्ट कतहपुर पर पेश हुई।

अतः आवदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को मय नोकर - चाकर अधिकांश सर्वेक्षीकारी सहित जारिय अख्याई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करमाया जावे कि वे वाद के विचारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 781 रकबा 1.73 हेक्टर वाक करबा कतहपुर के विक्रय अन्तरण, रहन, बंधक आदि नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्ड नहीं बदलें व वादग्रस्त भूमि का किराई भी प्रकार का विक्रय-पत्र आदि प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें।

किया जा रहा है।

तक जारिय अख्याई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करमाया जाना आवश्यक है तदर्थ आवेदन-प्रस्तुत इनी लिखकी पूर्ति धन के रूप में नहीं हो सकेगी इस कारण अप्रार्थीगण को वाद के विचारण यदि अप्रार्थी अपने उक्त कुतर्देश्य में सकल हो गया तो प्राप्ति को ऐसी असीम अपूर्णतया क्षति के रूप से लाम उठाने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि को विक्रय आदि करने पर उताव है अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 वादग्रस्त भूमि का खाला अपने नाम होने के कारण से उसका

उपखण्ड अधिकारी  
फतेहपुर सीकर (राज.)

22



पृ. 1

निर्णय आज दिनांक 30.06.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट फतेहपुर में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी  
(फतेहपुर सीकर (राज.))

22

पनावली फैसल शुमार होकर बाद बाद जाणा कार्यवाही मूल बाद के संलग्न हो।

वादायतल मुँसि का विकय नहीं करे।

विवाहित मुँसि खसरा नंबर 781 रकबा 1.73 हैक्टर के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायी रखी एवं जाकर अप्रार्थना को दावे के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ला प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदाकाठी अधिनियम स्वीकार किया जा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त विवेदन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संलग्न प्रार्थी के